(11)

संख्या: 1219/VII-II-11/100–उद्योग/2003

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़/चमोली/उत्तरकाशी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 30 मई 2011

विषय: **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु जिला योजना ''कार्डिंग/वीविंग प्लान्टों का सुदृढ़ीकरण'' में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **ट्राइवल सब प्लान के अधीन कार्डिंग/वीविंग प्लान्टों का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत** जनपद पिथौरागढ़ हेतु **₹4.00 लाख**, जनपद उत्तरकाशी हेतु **₹3.50 लाख** तथा जनपद चमोली हेतु **₹2.00 लाख** अर्थात् **कुल धनराशि ₹9.50 लाख (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र)** व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है, कि धनराशि के व्यय की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या:209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो, व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि का मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण शासन को प्रत्येक माह प्रेषित किया जायेगा।

5– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि ये जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो और जिला योजना में अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय के अनुरूप ही हो।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोधोग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 103–हथकरघा उद्योग, 03–कार्डिंग/बीविंग प्लान्टों का सुदृढ़ीकरण–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1219/VII-II-11/100–उद्योग/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
7. प्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, पिथौरागढ/उत्तरकाशी/चमोली।
8. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
12. वित्त अनुभाग–2
13. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्याः 1127 / VII-II-11 / 172–उद्योग / 2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल / उधमसिंह नगर / अल्मोड़ा /
पिथौरागढ़ / बागेश्वर / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / टिहरी /
चमोली / उत्तरकाशी / रूद्रप्रयाग / हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून. दिनांक 27 मई, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना) में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्याः 209 / XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु **उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना)** हेतु निम्न विवरणानुसार कुल **₹45.59 लाख (₹ पैंतालीस लाख उनसठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि(₹ लाख में)
नैनीताल	2.90
उधमसिंह नगर	4.85
अल्मोड़ा	5.29
पिथौरागढ़	4.39
बागेश्वर	3.75
चम्पावत	2.70
देहरादून	3.30
पौड़ी	3.42
टिहरी	3.00
चमोली	2.42
उत्तरकाशी	3.82
रूद्रप्रयाग	1.35
हरिद्वार	4.40
कुल योग	**45.59**
	(₹ पैंतालीस लाख उनसठ हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.0 .2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय की जा रही है।

5– उक्त जिला योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशानुसार किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 04–उद्यमकर्ता विकास योजना (जिला योजना), 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्रस्तर–8 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1127(1)/VII-II-11/172–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड ।
7. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
8. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्याः 1128 / VII-II-11 / 192–उद्योग / 2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
नैनीताल / उधमसिंह नगर / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ /
बागेश्वर / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / टिहरी /
चमोली / उत्तरकाशी / रूद्रप्रयाग / हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून. दिनांकः 17 मई, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण योजना (जिला योजना) में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत **जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण योजना हेतु** निम्न विवरणानुसार कुल **रू0 29.16 लाख (रू0 उनत्तीस लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

जनपद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि(₹ लाख में)
नैनीताल	5.00
उधमसिंह नगर	2.00
अल्मोडा	2.66
पिथौरागढ	4.00
बागेश्वर	0.60
चम्पावत	1.00
देहरादून	2.00
पौडी	4.00
टिहरी	1.00
चमोली	1.00
उत्तरकाशी	2.50
रूद्रप्रयाग	1.90
हरिद्वार	1.50
कुल योग	**29.16**
	(₹ उनत्तीस लाख सोलह हजार मात्र)

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2012 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03. 12 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय एवं अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय की जा रही है।

5– उक्त जिला योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च 2011 में उल्लिखित निर्देशानुसार किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 16–जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण–00, 42–अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्रस्तर–08 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1128(1)/VII-II-11/192–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड ।
7. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
8. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्याः 1222/VII-II-11/171–उद्योग/2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/
पिथौरागढ/बागेश्वर/चम्पावत/
देहरादून/पौडी/टिहरी/चमोली/
उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 मई, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान तथा ट्राईबल सब प्लान के अधीन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु धनराशि स्वीकृत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु **एस0सी0एस0पी0 एवं टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान सं0 30 एवं 31** के अन्तर्गत **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला योजनान्तर्गत** क्रमशः **₹ 10.30 लाख एवं ₹ 2.96 लाख** की धनराशि को निम्नविवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुदान संख्या–30 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग–00 आयोजनागत – 102–लघु उद्योग–02 अनु0जाति/जनजाति कम्पोनेन्ट के अधीन जिला योजना–03–उद्यमिता विकास प्रशि0 कार्यक्रम (जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता		अनुदान संख्या–31 2851– ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग–00 आयोजनागत–102–लघु उद्योग–01–अनु0जाति उप योजना–03–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता
जनपद	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)
नैनीताल	0.73	0.08
उधमसिंह नगर	1.02	0.60
अल्मोडा	1.02	0.16
पिथौरागढ	1.21	0.85
बागेश्वर	0.19	0.08
चम्पावत	0.29	---
देहरादून	1.06	0.89
पौडी	0.87	0.15
टिहरी	0.97	---
चमोली	0.57	0.07
उत्तरकाशी	0.82	0.08
रूद्रप्रयाग	0.73	---
हरिद्वार	0.82	---
योग :–	**10.30**	**2.96**

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदो में किया जायेगा जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस

सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा; वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2012 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही सैक्टरवार व्यय किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

5– स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान की योजनाओं के लिये नियोजन विभाग द्वारा मात्राकृत परिव्यय के अनुसार एवं जिला नियोजन अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय/योजनाओं के अनुरूप ही व्यय किया जायेगा। अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय करने पर समस्त दायित्व सम्बन्धित जनपदीय नोडल अधिकारी का ही होगा। किसी भी दशा में उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–30 एवं 31 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1222/VII-II-11/171–उद्योग/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड।
8. अपर सचिव, वित्त (बजट),/नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–2
12. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।